

मध्यप्रदेश शासन
आयुष विभाग
मंत्रालय

कमांक 2644/2016/2018/1/59
प्रति,

भोपाल, दिनांक 25/09/2018

1. समस्त सम्भागीय
आयुष अधिकारी
2. समस्त जिला स्तर आयुष अधिकारी
3. समस्त प्राचार्य आयुष महाविद्यालय

विषय:- पब्लिक प्रापर्टी के विरूपण के रोकथाम बाबत ।।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी म. प्र भोपाल के पत्र दिनांक 14 सितम्बर 2018 की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है ।

कृपया निर्देशानुसार उक्त पत्र में चाहेनुसार पालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

संलग्न - उपरोक्तानुसार

(सुनील मडावी)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश,
17, अरेरा हिल्स, भोपाल (Post Box No.1164)
दूरभाष-2551282 फैक्स-0755-4938889,
E-Mail: chiefelectoralofficermp@gmail.com

क्रमांक 01/2018/10-ए/निर्देश/10392
प्रति,

भोपाल 31 अगस्त.

कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (समस्त)
मध्य प्रदेश।

क्रमांक 25/7...उस/आयु./20
दिनांक 18/09/18

विषय:- पब्लिक प्रापर्टी के विरूपण की रोकथाम बाबत।

मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव 2018 संपन्न होने जा रहे हैं और निर्वाचन के पूर्व समस्त स्टेकहोल्डर्स को एक लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। इसी तारतम्य में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम हेतु तत्काल प्रभाव से कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1994 (http://ceomadhyapradesh.nic.in/CEO_Circular.aspx) लागू है जिसके तहत पब्लिक प्रापर्टी से संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति/कार्यालय के द्वारा विरूपण के विरुद्ध कदम उठाने का प्रावधान है। सार्वजनिक संपत्ति/कार्यालय के प्रभारी अधिकारी कार्यालय का यह दायित्व है कि अब तक हुए विरूपण के संबंध में तत्काल कार्यवाही करें/हटायें और भविष्य में विरूपण न होने दें।

जिलों में सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के रोकथाम के लिए निम्न कार्यवाही किया जाना आवश्यक है:-

1. संपत्ति विरूपण के रोकथाम संबंधी कार्य के लिए जिलास्तर पर एक नोडल अधिकारी (जो डिप्टी कलेक्टर से निम्न श्रेणी का न हो) नियुक्त करें।
2. इस पत्र की प्राप्ति के पश्चात जिले में स्थित समस्त राज्य/केन्द्रीय कार्यालय के प्रमुख को संपत्ति विरूपण की रोकथाम की कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखें और पत्र की पावती संधारित करें।
3. पत्र तामीली के पश्चात (10 सितम्बर 2018) को उन सभी कार्यालय प्रमुखों से एक्शन टेकेन रिपोर्ट प्राप्त करें, तत्पश्चात प्रत्येक सप्ताह इनकी समीक्षा करें।
4. जहां-जहां सार्वजनिक संपत्ति के विरूपण के संबंध में राज्य/केन्द्रीय कार्यालयों के प्रभारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती तो उनके संबंध में उनके उच्च अधिकारियों को पत्र लिखें।

10 सितम्बर 2018 से प्रारम्भ होकर प्रत्येक सोमवार को इस कार्यालय में पदस्थ संपत्ति विरूपण संबंधी नोडल अधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित करें।

US
30
18/9/18

(श्री.एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश

भोपाल 31 अगस्त, 2018

पृ. क्रमांक 01/2018/10-ए/निर्देश/10393
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन को सूचनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
4. नोडल अधिकारी, कानून एवं व्यवस्था, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय।

06
19/9/18 E

(श्री.एल. कान्ता राव)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी
मध्य प्रदेश